No. 2011/RS(G)/779/7

New Delhi, dated 19.1.2012

The General Manager, All Indian Railways & PUs including NF(C).
The General Manager, CORE, Allahabad.
The General Manager, Metro Railway, Kolkata.
The Director General, RDSO, Lucknow & Railway Staff College, Vadodara.
The MD, RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurgaon.
The MD, KRCL, Belapur Bhavan, 4th Floor, Sector-11, CBD, Belapur, Navi Mumbai.
The MD, MRVC, 2nd Floor, Church Gate station Building, Mumbai.
The MD, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
CAO/Workshop Projects organisation, 1st Floor, Chamber Bhawan, J.C. Road, Patna -800001.
CAO/DMW, Patiala and COFMOW, New Delhi.
CAO/MTP, NBCC Place, Bhishma Pitamah Marg, Pragati Vihar, New Delhi.
CAO/MTP, Mumbai and Chennai.
CAO/RSL, Mumbai and Chennai.
CAO/RSL/RPL/ Old TA Building, Kishan Ganj, Delhi,

Subject: Force Majeure Clause in stores contracts.

The CVC has pointed out that there is a danger that contractual force
majeure clauses as per the IRS condition of contract are tilted in favour of the
contractor, whereas as a party to the contract, the purchaser should also have
equal right to claim relief under Force Majeure conditions. The following
clarifications are issued for guidance purposes:-

Relevant extracts on the subject from "Manual on Policies and Procedures for Purchase of Goods" by Ministry of Finance and other Government procurement agencies clarify as under:-

'Force Majeure means an event beyond the control of the supplier and not
involving the supplier's fault or negligence and which is not foreseeable.
Such events may include, but are not restricted to acts of the purchaser either
in its sovereign or contractual capacity, wars or revolutions, hostility, acts of
public enemy, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosions, epidemics,
quarantine restrictions, strikes, lockouts, and freight embargoes. However, it
should not be used by a party to effectively to escape liability for bad
performance.

If there is delay in performance or other failures by the supplier to perform its
obligation under its contract due to event of a Force Majeure, the supplier
shall not be held responsible for such delaysfailures.

If a Force Majeure situation arises, the supplier shall promptly notify the
purchaser in writing of such conditions and the cause thereof within twenty-
one days of occurrence of such event with reasonable evidence thereof.
Unless otherwise directed by the purchaser in writing, the supplier shall
continue to perform its obligations under the contract as far as reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event.

If the performance in whole or in part or any obligation under this contract is prevented or delayed by any reason of Force Majeure for a period exceeding sixty days, either party may at its option terminate the contract without any financial repercussion on either side.

There may be a Force Majeure situation affecting the purchase organization only. In such a situation the purchase organization is to take up with the supplier on similar lines as above for further necessary action.

Contractual Force Majeure Clauses by respective railway units may be framed keeping in mind the above.

This is issued with the concurrence of Finance Directorate.

(Santosh Mittal)
Dy. Director, Rly.Stores(G)I
Railway Board

No: 2011/RS(G)/779/7
New Delhi, dated: 19.1.2012

Copy to:
1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units.
2. PCEs, All Indian Railways & Production Units.
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways.

for Financial Commissioner / Railways

No: 2011/RS(G)/779/7
New Delhi, dated: 19.1.2012

Copy to:
1. The COSs, All Indian Railways & PUs including NF(C).
2. The CMM, RCF/RBL/ Old TA Building , Kishan Ganj, Delhi.
3. The COS, COFMOW, New Delhi.
4. The COS, CORE, Allahabad.
5. The COS, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, 4th Floor, Sector-11, CBD, Belapur, Navi Mumbai-400614.
6. The COS, Mumbai Rail Vikas Corporation, 2nd Floor, Church Gate station Building, Mumbai-400020.
7. The Directors-
   a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad.
   d. Sr.Prof. (Material Management), Railway Staff College, Vadodara.
   e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune.
   f. Indian Railway Institute of Logistics & Materials Management, IDA House, Sector IV, R.K.Puram, New Delhi
8. Chairman, Railway Rates Tribunal, Chennai.
9. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata.
10. Executive Director (Stores), RDSO, Manak Nagar, Lucknow.
12. ED(QA)/RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurgaon, Haryana.
13. CPM, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi.
15. Dy.CMM / Workshop Projects organisation, 1st Floor, Chamber Bhawan, J.C. Road, Patna -800001.

(Santosh Mittal)
Dy. Director, Rly.Stores(G)I
Railway Board

No: 2011/RS(G)/779/7
New Delhi, dated: 19.1.2012

Copy to:
1. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi.
3. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi.
5. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi

(Santosh Mittal)
Dy. Director, Rly.Stores(G)I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to

(i) CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
(ii) All AMs and Advisors of Railway Board.
(iii) All Executive Directors of Railway Board.
(iv) All Directors of Electrical, Engineering, Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte. &
All Branches of Electrical, Engineering, Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte.
भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

स. 2011/आर एस (जी)/779/7

भारतीय रेलवे एवं पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सहित उत्पादन इकाइयां।

कोरा, इलाहाबाद।

महामन्दिर, अ-अ. मा.सं. लाखनऊ एवं रेल स्टाफ कोलेज, चंडोला।

प्रबंध निदेशक, रेलस्टेशन, रायपुर भवन, सेक्टर-29, गुड़गांव।

प्रबंध निदेशक, कॉकेंट रेल निगम लिमिटेड, इलाहाबाद।

प्रबंध निदेशक, मुंबई रेल विकास निगम, दूसरा ताल, चर्च गेट स्टेशन बिल्डिंग, मुंबई।

प्रबंध निदेशक, किस्त, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली,

मु.प्र.अ/कर्मचारी नियोजना संगठन, प्रथम तल, चैंबर भवन, जे.सी. रोड, पटना-800001

मु.प्र.अ/दौड़जूल आधुनिकीकरण कार्यालय, पटियाला एवं कोंफ्रोमो, नई दिल्ली।

मु.प्र.अ/एम टी पी, एन बी इसी सी व्यवसाय, भोपाल वित्तान्त मार्ग, प्रभाग विहार, नई दिल्ली।

मु.प्र.अ/एम टी पी, मुंबई एवं चेन्नई।

मु.प्र.अ., आरसीएफ/आरबीएल/अल्टीटीज बिल्डिंग, किशनगंज, दिल्ली।

विषय: भंडार संबंधी संविदा में अपरिहार्य घटना संबंधी शर्त

केंद्रीय सरकार का आरोप ने उल्लेख किया है कि कि संविदा की आईआरएस शर्त के अनुसार संविदागत अपरिहार्य घटना शर्त के भंडार के पास में है, जबकि संविदा की पार्टी के रूप में अपरिहार्य घटना में अंतर्गत राज राज करने के लिए इन्हें के पास भी समान अधिकार होना चाहिए। मांगदर्शन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित स्थापनाकरण जारी जा रहे हैं:-

वित्त मंत्रालय और अन्य सरकारी प्राप्त प्राप्ति एवं एवर्थम्योजन से संबंधित नियमावली” से इस विषय के संबंधित उद्देश्य से स्पष्ट हो जाएगा, जो निम्नानुसार है:-

'अपरिहार्य घटना' से आशय उस घटना से है जो कि सपत्तारे के नियंत्रण से बाहर है और जिसमें सपत्तार का कोई दोष या लापरवाही नहीं है तथा जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। इन घटनाओं में भेंट के स्वावलंबी या संबंधित क्षमता की गतिविधियां, युद्ध या विद्रोह, विरोध, सार्वजनिक शक्ति की गतिविधियां, जन विद्रोह, तोड़-फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, महाभारत, क्यार्ट्रिज प्रतिबंध, हजारा, तालाबढ़ी और मॉल व्यवहार प्रतिबंध को सामान्य किया जा सकता है परंतु यह इसी घटनाओं तक सीमित नहीं हैं।

वहाँहाँ, इसका खाली नियमान्वयन के लिए दायित्वें से चार इतिहासी हो नहीं जाना चाहिए।

यदि किसी अपरिहार्य घटना के कारण संविदा के अंतर्गत सपत्तार द्वारा निपाठ भी धरे और अन्य विफलता होती है तो सपत्तार को उन दर्शन/विफलताओं के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
यदि कोई अपरिहार्य घटना घटती है तो सप्लायर, तक्षकल ब्रेक्टा को इस स्थिति के बारे में लिखित सूचना देगा और इस घटना के इक्कीस दिनों के भीतर तरक्कसंगत प्रमाण सहित इसके कारणों का उल्लेख करेगा। जब तक ब्रेक्टा द्वारा इस घटना के संबंध में लिखित में अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता तब तक सप्लायर, संविदा के अंतर्गत दायियों का निर्वाहण जाह्न तक व्यावहारिक हो तरक्कसंगत रूप से करता रहेगा और निष्पादन के लिए सभी ऐसे तरक्कसंगत वैकल्पिक उपाय की मांग करेगा, जिन पर अपरिहार्य घटनाओं की वजह से असर न हुआ हो।

यदि किसी अपरिहार्य घटना के कारण निष्पादन पूर्णतया या आश्चर्य रूप से या इस संविदा के अंतर्गत कोई दायित्व पर साध दिन की अवधि से आगे रोक लगा है या लिखित होती है तो कोई भी पास या किसी वित्तीय प्रभाव के संबंध दिया को रक्षा कर सकती है।

कोई ऐसी अपरिहार्य घटना भी हो सकती है जो केवल खरीद संगठन को ही प्रभावित करती हो। ऐसी स्थिति में खरीद संगठन आपका आवश्यक कार्यवाह के लिए उपयुक्त आधार पर सप्लायर के साथ संपर्क करेंगे।

उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए संबंधित रेल इकाइयों द्वारा संविदा संगत अपरिहार्य घटना शर्तियत निर्धारित की जा सकती है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशाध्यक्ष की सहमति प्राप्त है।

(संतोष मितल)
उप निदेशक रेलभार (सा.)-I
रेलवे बोर्ड।

सं. 2011/आर एस (जी)/779/7

नई दिल्ली, विनांक : 17 .01.2012

प्रतिलिपि प्रेषित:
1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों।
2. पी सी ई, सभी भारतीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों।
3. ए डी ए आई (रेल्वे), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. लेखा परीक्षक, सभी भारतीय रेलवे।

कृत वित्त आयुक्त/रेलवे

सं. 2011/आर एस (जी)/779/7

नई दिल्ली, विनांक : 17 .01.2012

प्रतिलिपि प्रेषित:
1. सी आ एस/सभी भारतीय रेलवे एवं पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सहित उत्पादन इकाइयों।
2. सी आ एस, मेट्रो रेल कोलकाता।
3. सी आ एस, कोलकाता, नई दिल्ली।
4. सी आ एस, कोर, इलाहाबाद।
5. सी ओ एस, कॉक्कर, रेल लोकप्रीय संपादन, बेलापुर भवन, चौथा तल, सेक्टर-11, सी बी डी, बेलापुर, नवी मुंबई.
6. सी ओ एस, मुंबई रेल विकास निगम, दूसरा तल, चार्च गेट, स्टेशन बिल्डिंग, मुंबई-400020.
7. निदेशक -
   क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दौरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद.
   ख. भारतीय रेल यात्रिक एवं विज्ञानी इंजीनियरी संस्थान, जमा मपुर.
   ग. भारतीय रेल विज्ञानी इंजीनियरी संस्थान, नाथिक.
   घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधक) रेलवे स्टाफ कोलेज, वडोदरा.
   ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे.
   च. भारतीय रेल लॉजिस्टिक एवं सामग्री प्रबंधन संस्थान, आई डी ए हाउस, सेक्टर-4, आर.के. पुणे, नई दिल्ली.
8. अध्यक्ष, रेल दर अधिकरण, चेये.
9. निदेशक, लॉ एवं इंस्पेक्टर, 3, कोयला घाट स्टॉट, कोलकाता.
10. कार्यालय निदेशक (बंडार), अ.अ.मा.से., बालाक नगर, लखनऊ.
11. मुख्य आयुक्त, रेल संस्थान, लखनऊ.
12. कार्य निदेश. (बुध ए) राइटर्स, राइटर्स भवन, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा.
13. सी.पी.एम. क्रिक्स, चापाक्यपुरी, नई दिल्ली.
14. महाप्रबंधक (परियोजना)-V, क्रिक्स, चापाक्यपुरी, नई दिल्ली.
15. डिटी सीएमएम/कारखाना परियोजना संगठन, प्रथम तल, चैंबर भवन, जे.सी. रोड, पटना-800001

नई दिल्ली, दिनांक : 01.01.2012

प्रतिलिपि प्राप्तिक:
1. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.
2. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली.
3. महासचिव, फ्रॉन्टीयर, कमरां नं. 256 डी, रेल भवन.
4. महासचिव, इरसफो, कमरां नं. 268, रेल भवन.
5. महासचिव, एआईआरएफए, कमरां नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली.

नई दिल्ली, दिनांक : 01.01.2012

उप निदेशक रेल भंडार (सा.)-I
रेलवे बोर्ड.

सं. 2011/आर एस (जी)/779/7